

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

(1 अप्रैल 2023 से प्रभावी)



दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

पृष्ठ 1 - 50

केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला योजना

" दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति "

विषय-सामग्री

क्र.सं.	विषय
1	परिचय
2	पात्रता की सामान्य शर्तें
3	छात्रवृत्ति योजनाओं की व्यापक विशेषताएं
4	दिव्यांग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
5	दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
6	दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी (टॉप क्लास) शिक्षा छात्रवृत्ति
7	प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया
8	छात्रवृत्ति/पुरस्कार(अवार्ड) की अवधि और नवीकरण
9	अन्य शर्तें
10	छात्रवृत्ति के वितरण का तरीका
11	मॉनिटरिंग
12	दिव्यांगजनों के लिए नेशनल फैलोशिप
13	राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
14	छात्रवृत्ति योजना के सभी घटकों के लिए सामान्य प्रावधान
<b>अनुबंध</b>	
1	शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों की सूची

## दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

### 1. प्रस्तावना

1.1. शिक्षा दिव्यांगजनों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) के अनुच्छेद 41 में यह प्रावधान है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

1.2. संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) के अनुच्छेद 46 में राज्य को कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। इसी भाग का अनुच्छेद 38(2) राज्य को आय में असमानताओं को न्यूनतम करने और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों का कार्य करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करने का आदेश देता है।

1.3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा 31 (I) में कहा गया है कि "बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित किसी भी बात के बावजूद, छह से अठारह वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को पड़ोस में स्थित उनकी पसंद के स्कूल या विशेष स्कूल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।"

1.4. इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 32(2) में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो।

1.5. इन अधिदेशों को पूरा करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार निम्नलिखित छह घटकों के साथ "दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है:

- i. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)

- ii. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए)
- iii. उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए)
- iv. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेश स्थित संस्थानों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री/पीएचडी के लिए)
- v. राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी के लिए)
- vi. नि: शुल्क कोचिंग (ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं और विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा)।

उपरोक्त अम्ब्रेला योजना के पहले पांच घटकों के संबंध में दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं और निःशुल्क कोचिंग घटक के संबंध में दिशा-निर्देश अलग से प्रकाशित किए जाएंगे।

## 2. पात्रता की सामान्य शर्तें

- i. छात्रवृत्तियां केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुले हैं।
- ii. छात्रवृत्ति के सभी घटक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए खुले हैं अर्थात 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए जैसा कि 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' में परिभाषित किया गया है और जिनके पास नियमों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र है।
- iii. एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वां है, तो योजनाओं के तहत जुड़वां को छात्रवृत्ति स्वीकार्य होगी।
- iv. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए मिलेगी। यदि कोई छात्र एक कक्षा दोहराता है, तो उसे दूसरे (या बाद के) वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- v. इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक किसी अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा (स्टाइपेंड) का लाभ नहीं उठाएगा। इस योजना के तहत यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा(स्टाइपेंड) को स्वीकार करता है तो उसे उस तारीख से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

### 3. छात्रवृत्ति योजनाओं की व्यापक विशेषताएं

क्र.सं.	योजना	कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्यता	स्लॉट*	माता-पिता की आय (प्रति वर्ष) की सीमा	महिला उम्मीदवारों के लिए स्लॉट का आरक्षण **
1	प्री-मैट्रिक	IX और X	25,000 (नवीकरण मामलों सहित)	2.5 लाख रुपये	50%
2	पोस्ट-मैट्रिक	11वीं, 12वीं, पोस्ट-मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, भारत में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा, यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री/डिप्लोमा।	17,000 (नवीकरण मामलों सहित)	2.5 लाख रुपये	50%
3	उच्च श्रेणी शिक्षा	डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा	300 (नवीकरण मामलों सहित)	8 लाख रुपये	50%
4	नेशनल ओवरसीज	विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मास्टर डिग्री और पीएचडी	20 + चालू मामले	8 लाख रुपये	30%
5	नेशनल फैलोशिप	भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पीएचडी	200+ चालू मामले	आय की कोई सीमा नहीं	-

\* प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और उच्च श्रेणी योजनाओं के स्लॉट में नए मामलों के साथ-साथ नवीकरण के मामले शामिल हैं। सभी नवीकरण मामलों की प्रक्रिया के बाद ही बचे हुए स्लॉट में नए मामलों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, एक वर्ष में स्लॉट की निश्चित संख्या होने के कारण केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर छात्रवृत्ति का अनुदान नहीं मिलेगा।

**\*\*** यदि योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं पाई जाती हैं, तो उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों का चयन करके अप्रयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जाएगा।

**टिप्पणी 1:** विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रम और निजी पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम, शिप डफरिन (अब राजेंद्र) में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सैन्य कॉलेज, देहरादून में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अखिल भारतीय और राज्य स्तरों के परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में पाठ्यक्रम जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

**टिप्पणी 2:** स्व-नियोजित माता-पिता/अभिभावक की आय घोषणा राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। नियोजित माता-पिता/अभिभावकों को आय के किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत का राजस्व अधिकारी से समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

### **3.1 आधार और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) की आवश्यकता**

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिनांक 3 मार्च, 2017 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 4-2(32)/2016/डीडी-1 के माध्यम से सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत आधार को पहचान दस्तावेज के रूप में अधिसूचित किया है। आवेदकों को छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ सकता है।

(ii) छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए यूडीआईडी/यूडीआईडी नामांकन अनिवार्य होगा।

## **4. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति**

### **4.1 पात्रता की शर्तें:**

अभ्यर्थी को एक सरकारी स्कूल में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा IX या X में अध्ययन करने वाला नियमित, पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

### **4.2 छात्रवृत्ति की राशि:**

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. रख-रखाव भत्ता
- ii. पुस्तक अनुदान
- iii. दिव्यांगता भत्ता

### 4.3 छात्रवृत्ति की दरें:

राशि रुपये में

मर्दें	डे स्कॉलर	हॉस्टलर
रख-रखाव भत्ता (प्रति माह)	500	800
पुस्तक अनुदान (प्रति वर्ष)	1000	1000
<b>दिव्यांगता भत्ता (प्रति वर्ष)</b>		
दृष्टि बाधित या बौद्धिक दिव्यांगता	4000	4000
अन्य सभी प्रकार की दिव्यांगता	2000	2000

### 5. बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:

#### क. पात्रता की शर्तें:

मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में मान्यता प्राप्त सभी पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों (मास्टर डिग्री स्तर तक) के अध्ययन के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति निम्नलिखित अपवादों के साथ प्रदान की जाएगी:

- i. अभ्यर्थी जो शिक्षा के एक चरण में उत्तीर्ण करने के बाद अलग विषय में शिक्षा के उसी चरण में पढ़ रहा है (उदाहरण के लिए अन्य विषय में बी.ए. के बाद बी.कॉम) तो वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, एल.एल.बी./बी.एड/बी.ईएल.एड करने वाले छात्र बी.ए./बीएससी/बी.ई. आदि उत्तीर्ण करने के बाद इस योजना के तहत पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।
- ii. जो छात्र अध्ययन के दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों को साथ-साथ कर रहे हैं, वे किसी एक पाठ्यक्रम के लिए ही छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे पाठ्यक्रमों के अनुसरण में संबंधित शैक्षिक प्राधिकरण के नियमों / विनियमों के तहत अनुमति हो।

- iii. जो छात्र कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं, यदि अन्यथा पात्र हैं, तो उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- iv. छात्र जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी पढाई कर रहे हैं वे भी छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। पत्राचार शब्द में दूरस्थ और सतत शिक्षा शामिल है।
- v. नियोजित छात्र जिनकी आय उनके माता-पिता /अभिभावक की आय के साथ संयुक्त रूप से अधिकतम निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है, वे सभी अनिवार्य रूप से देय गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

**ख. छात्रवृत्ति की राशि:**

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए निम्नलिखित शामिल हैं: -

- i. रख-रखाव भत्ता
  - ii. दिव्यांगता भत्ता
  - iii. अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
  - iv. पुस्तक भत्ता
- ग. रख-रखाव भत्ता:

राशि रुपये में

समूह	रख-रखाव भत्ते की दर (प्रति माह)	
	हॉस्टलर्स	डे स्कॉलर्स
<p><b>समूह I</b>            चिकित्सा, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, योजना / वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, व्यवसाय / वित्त प्रशासन, कंप्यूटर विज्ञान / अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।            यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विषय में सभी स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	1600	750

समूह	रख-रखाव भत्ते की दर (प्रति माह)	
	हॉस्टलर्स	डे स्कॉलर्स
<b>समूह II</b> फार्मसी (बी. फार्मा), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरा-मेडिकल शाखाओं जैसे पुनर्वास, नैदानिक, आदि, जन संचार, होटल प्रबंधन और खानपान, यात्रा / पर्यटन / आतिथ्य, आंतरिक सजावट, पोषण और आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात्, बैंकिंग, बीमा, कराधान, आदि) जैसे क्षेत्रों में डिग्री / डिप्लोमा वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1100	700
<b>समूह III</b> स्नातक डिग्री के लिए अन्य सभी पाठ्यक्रम, जो समूह I और II के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, जैसे, बी.ए. / बी.एससी / बी.कॉम, आदि।	950	650
<b>समूह IV</b> सभी पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश योग्यता हाई स्कूल (दसवीं कक्षा) है, अर्थात् उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI और XII), सामान्य और व्यावसायिक दोनों स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निकस में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि।	900	550

**नोट:** समूहीकृत पाठ्यक्रमों (I से IV) की सूची केवल व्याख्यात्मक है और संपूर्ण नहीं है। इस प्रकार, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने स्तर पर पाठ्यक्रमों के उपयुक्त समूहीकरण का निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम हैं।

**घ. दिव्यांगता भत्ता:**

विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्वीकार्य दिव्यांगता भत्ते की दरें निम्नानुसार देय होंगी:

राशि रुपये में

क्र.सं.	दिव्यांगता के प्रकार	दिव्यांगता भत्ता (प्रति वर्ष)
1.	दृष्टि बाधित या बौद्धिक दिव्यांगता	4000
2.	अन्य सभी प्रकार की दिव्यांगताएं	2000

**ड. अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति**

छात्रों को नामांकन/पंजीकरण शुल्क, ट्यूशन शुल्क, खेल शुल्क, संघ शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य शुल्क का भुगतान किया जाता है जो छात्र (स्कॉलर) द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय / बोर्ड को अनिवार्य रूप से देय होते हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 'अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क' की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम शुल्क सीमा 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष है। तथापि, काॅशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसी रिफंडेबल डिपॉजिट को अलग रखा जाएगा।

**नोट:** मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की निःशुल्क और सशुल्क सीटों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति सक्षम राज्य/केंद्र सरकार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार 1.50 लाख रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक की जा सकती है।

**च. पुस्तक भत्ता:** 1500 रुपये प्रति वर्ष।

**6. बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति**

**6.1. पात्रता की शर्तें**

यह विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पढाई के लिए ही स्वीकार्य है। योजना के अंतर्गत शामिल किए गए ऐसे मुख्य

संस्थानों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है। इस सूची में किसी भी विषय को जोड़ने या हटाने के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार अधिसूचित किया जाएगा। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति किसी भी विषय (स्ट्रीम) के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा / अंशकालिक / सप्ताहांत (वीक-एंड) पाठ्यक्रमों की पढाई के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा, इस घटक के तहत पुरस्कार(अवार्ड) के लिए दूसरी बार या बाद के लिए विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि व्यक्ति को केवल एक बार ही पुरस्कृत(अवार्डड) किया जा सकता है।

## 6.2. वित्तीय सहायता की मात्रा

क्र.सं.	छात्रवृत्ति के घटक	वित्तीय सहायता
क)	संस्थान को भुगतान किए गए/दिये ट्यूशन फीस और गैर-वापसी योग्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति	रु. 2.00 लाख तक – प्रति वर्ष (वास्तविक राशि के अधीन)।
ख)	रख-रखाव भत्ता	हॉस्टलर्स के लिए रु.3,000/- प्रति माह, डे-स्कॉलर्स के लिए रु. 1,500/- प्रति माह
ग)	विशेष भत्ते (रीडर भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, सहायक भत्ता आदि जैसे दिव्यांगता के प्रकारों से संबंधित)	रु. 2,000/- प्रति माह
घ)	पुस्तकें और लेखन सामग्री(स्टेशनरी)	रु. 5,000/- प्रतिवर्ष
ङ)	सहायक उपकरण के साथ कंप्यूटर / लैपटॉप की खरीद के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति।	पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एकमुश्त अनुदान के रूप में रु. 45,000/- (लाभ प्राप्त करने के लिए, छात्र को लैपटॉप / कंप्यूटर की खरीद के प्रमाण के रूप में बिल / रसीद जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा)
च)	चयनित उम्मीदवारों की विशेष दिव्यांगता से संबंधित सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति।	पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में एकमुश्त अनुदान के रूप में रु. 30,000/- (प्रतिपूर्ति अपेक्षित दस्तावेजों के आधार पर की जाती है जैसे कि दावे की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों द्वारा प्रस्तुत बिल / वाउचर।

## 7. प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया

क. आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ([www.scholarships.gov.in](http://www.scholarships.gov.in)) के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।

- ख. आवेदकों को आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना चाहिए। फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, ट्यूशन फीस रसीद, अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए निर्धारित प्रारूप को ऑन-लाइन सिस्टम में अपलोड करना आवश्यक है।
- ग. जिन संस्थानों में उम्मीदवार अध्ययन कर रहा है, उन्हें भी पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करना होगा। राज्य द्वारा नामित नोडल अधिकारी सभी आवेदनों की जांच और राज्य सरकार की ओर से उन पर कार्रवाई करेंगे, जो लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि के वितरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में अंतिम सूची पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर भी करेंगे।
- घ. यदि कोई उम्मीदवार एक राज्य का स्थायी निवासी है, लेकिन दूसरे राज्य में पढ़ रहा है, तो उसके आवेदन की सिफारिश उस राज्य के शिक्षा / कल्याण विभाग द्वारा की जानी चाहिए, जिसका वह स्थायी निवासी है।
- ङ. राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के आधार पर और राज्यवार प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या तथा दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध स्लॉट प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए राज्यवार वितरित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ पूरे देश में उपलब्ध है। राज्यवार प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या को पात्र आवेदनों की कुल संख्या के संबंध में प्रतिशत के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद राज्यवार स्लॉट दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या के औसत प्रतिशत और पात्र आवेदनों के राज्यवार प्रतिशत के आधार पर तय किया जाएगा।
- च. चयन के लिए योग्यता मानदंड दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दर्शाए अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत होगा, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता का विशिष्ट प्रतिशत इंगित नहीं किया जाता है और इसे 40% या उससे अधिक के रूप में दर्शाया जाता है। चयन के लिए मेरिट मानदंड के उद्देश्य के लिए, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के सभी पात्र मामलों में दिव्यांगता प्रतिशत 40% के रूप में लिया जाएगा।
- छ. यदि दो दिव्यांगजनों के बीच मेरिट हेतु अंक समान पाया जाता है तो ऐसे मामले में उनके आयु पर विचार किया जाएगा, अर्थात्, आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।
- ज. उपरोक्त मेरिट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम चयन राज्यवार वितरित स्लॉट के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
8. छात्रवृत्ति/पुरस्कार(अवार्ड) की अवधि और नवीकरण

(i) एक बार दिया गया पुरस्कार उस चरण से प्रभावी होगा जिस स्तर पर यह दिया जाता है जो अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के अधीन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसे वर्ष-दर-वर्ष नवीनीकृत किया जाएगा बशर्ते कि, पाठ्यक्रम की कुल अवधि के भीतर, जोकि कई वर्षों तक निरंतर है, स्कॉलर अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति प्राप्त कर लेता है, इस तथ्य के होने के बावजूद कि ऐसी परीक्षाएं विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ii) यदि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में समूह I पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाला बेंचमार्क दिव्यांग छात्र पहली बार परीक्षा में विफल हो जाता है, तो पुरस्कार(अवार्ड) का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी और बाद की विफलता के लिए, छात्र को अपना खर्च वहन करना होगा जब तक कि वह अगली उच्च कक्षा में पदोन्नति प्राप्त नहीं कर लेता।

(iii) यदि कोई स्कॉलर बीमारी के कारण या किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और / या अन्य आवश्यक पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुरस्कार को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और यह प्रमाणित किया जा सकता है कि यदि स्कॉलर परीक्षा में उपस्थित हुआ होता तो वह उत्तीर्ण होता।

(iv) यदि किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के विनियमों के अनुसार, किसी छात्र को अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत किया जाता है, भले ही वह वास्तव में निम्न कक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो और उसे कुछ समय बाद फिर से उस जूनियर कक्षा की परीक्षा देने की आवश्यकता हो, तो वह उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का हकदार होगा जिसमें उसे पदोन्नत किया गया है यदि छात्र अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

## 9. अन्य शर्तें

(i) यदि किसी छात्र को गलत बयान देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करते हुए पाया जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवेक पर वसूल की जाएगी। संबंधित छात्र को काली सूची में डाल दिया जाएगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति के लिए हमेशा के लिए रोक(डीबार) दिया जाएगा।

(ii) प्रदान की गई छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है यदि स्कॉलर अध्ययन के पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए छात्रवृत्ति मूल रूप से प्रदान की गई थी।

(iii) एक स्कॉलर भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विवेक पर छात्रवृत्ति राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है, यदि वर्ष के दौरान, जिस अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, उस अध्ययन को उसके द्वारा बंद कर दी जाती है।

(iv) रख-रखाव भत्ता 1 अप्रैल से या प्रवेश के महीने से, जो भी बाद में हो, शैक्षणिक वर्ष के अंत में (छुट्टियों के दौरान रखरखाव भत्ता सहित) परीक्षाएं पूरी होने के महीने तक देय है, बशर्ते कि यदि स्कॉलर महीने के 20 वें दिन के बाद प्रवेश प्राप्त करता है, तो प्रवेश के महीने के बाद के महीने से राशि का भुगतान किया जाएगा।

(v) पिछले वर्षों में प्रदान की गई छात्रवृत्ति के नवीकरण के मामले में, रखरखाव भत्ते का भुगतान उस महीने के बाद के महीने से किया जाएगा जिस महीने तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था, यदि अध्ययन का पाठ्यक्रम निरंतर है।

(vi) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में इंटरनशिप /हाउसमैन शिप की अवधि के लिए या अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण(पैक्टिकल ट्रेनिंग) के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि छात्र इंटरनशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है या अन्य पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता / स्टार्डिपेंड प्राप्त कर रहा है।

(vii) छात्रवृत्ति स्कॉलर की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है। यदि किसी भी समय संस्थान के प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कोई स्कॉलर अपने स्वयं के चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में विफल रहा है या कदाचार का दोषी रहा है जैसे कि हड़तालों का सहारा लेना या उसमें भाग लेना, संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना उपस्थिति में अनियमितता, आदि, तो छात्रवृत्ति को मंजूरी देने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है या कुछ अवधि के लिए, जो भी वह उचित समझे, आगे के भुगतान को बंद कर सकता है या उसे रोक सकता है।

## 10. छात्रवृत्ति के वितरण का तरीका

छात्रवृत्ति योजना के उपर्युक्त तीन घटक अर्थात प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा और राशि डीबीटी मोड के माध्यम से आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।

## 11. मॉनिटरिंग

(i) योजना की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की जाएगी।

(ii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक विवरणों के साथ लाभार्थियों की सूचियों का जिला-वार और श्रेणी-वार रखा गया है।

(iii) उचित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्तरों अर्थात ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरों पर भौतिक सत्यापन, योजना डिजाइन के अनुसार, एक एल्गोरिथ्म के माध्यम से यादृच्छिक रूप से चुनी गई इकाइयों में से कम से कम 10% को कवर करते हुए किया जाएगा।

## 12. बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफपीडब्ल्यूडी)

### 12.1. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी या सामाजिक विज्ञान में एमफिल/पीएचडी करने के लिए दिव्यांगजनों को उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फैलोशिप प्रदान करना है।

### 12.2. शामिल किए गए संस्थान/ विश्वविद्यालय:

इस योजना में शामिल हैं:

- क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान;
- ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत शामिल और एनएएसी से वैध प्रत्यायन(अक्रेडिटेशन) प्राप्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय (संघटक और संबद्ध संस्थाओं सहित)।
- ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित उच्चतर शिक्षा के लिए संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से मानित विश्वविद्यालय माना जाएगा और जिसके पास एनएएसी से वैध मान्यता प्राप्त है।
- घ) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित संस्थान और डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त।
- ङ) शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान।

### 12.3 फैलोशिप की संख्या:

इस योजना में प्रत्येक वर्ष 200 फैलोशिप को फैलोशिप प्रदान करने का प्रावधान है। दिव्यांग छात्रों के लिए उपलब्ध कुल 200 स्लॉट में से, 75% स्कॉलर्स (अर्थात् 150) का चयन यूजीसी के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा-जूनियर रिसर्च फैलोशिप (नेट-जेआरएफ) के आधार पर किया जाएगा और शेष 25% स्कॉलर्स (अर्थात् 50) का चयन यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) नेट-जेआरएफ संयुक्त

परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तथापि, यह स्लॉट यूजीसी-नेट और सीएसआईआर-नेट के बीच स्लॉट की कुल संख्या की सीमा तक हस्तांतरणीय है, यदि एक श्रेणी में पात्र स्कॉलर्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है।

#### 12.4. पात्रता की शर्तें और अवधि:

- i. फैलोशिप 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता (अर्थात् 40% या अधिक दिव्यांगता) ग्रस्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत निर्धारित दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र रखने वाले छात्रों के लिए खुली है।
- ii. इस योजना के तहत फैलोशिप धारक किसी अन्य छात्रवृत्ति / स्टाईपेंड का लाभ नहीं उठाएगा। इस योजना के तहत छात्रों को किसी भी अन्य छात्रवृत्ति / स्टाईपेंड स्वीकार करने की तारीख से कोई छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- iii. पैरा 12.2 में ऊपर उल्लिखित विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थानों में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने के लिए उम्मीदवारों को फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
- iv. एक स्कॉलर एक समय में केवल एक फैलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र है। स्कॉलर को यह घोषणा करनी होगी कि वह अन्य स्रोतों से कोई अन्य मौद्रिक लाभ/छात्रवृत्ति/फैलोशिप स्वीकार नहीं करेगा/प्राप्त नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, एक स्कॉलर जिसे इस योजना के तहत फैलोशिप प्रदान की जाती है, वह पुरस्कार की अवधि के दौरान (एक वर्ष के 'शैक्षणिक अवकाश' के मामले को छोड़कर) किसी अन्य फैलोशिप / छात्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगा या किसी भी नियुक्ति, भुगतान या अन्यथा नहीं रखेगा, या किसी अन्य स्रोत से कोई परिलब्धियां, वेतन, स्टाईपेंड आदि प्राप्त नहीं करेगा। यदि कोई स्कॉलर पहले से ही किसी छात्रवृत्ति / फैलोशिप की प्राप्ति में है, तो उसे या तो पिछली छात्रवृत्ति / फैलोशिप / किसी अन्य मौद्रिक लाभ को छोड़ना होगा या इस योजना के तहत चयन को छोड़ना होगा।
- v. एक स्कॉलर जो फैलोशिप की अवधि के दौरान अपना शोध कार्य पूरा नहीं करता है, वह इस योजना के तहत फिर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसी तरह, एक स्कॉलर जिसने पहले पीएचडी के लिए इस फैलोशिप में से किसी का पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ उठाया है, वह भी इस योजना के तहत फिर से फैलोशिप के लिए पात्र नहीं होगा।
- vi. जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ) की तर्ज पर फैलोशिप में शामिल होने के दो वर्ष बाद, यदि फेलो के शोध कार्य में प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो समय-समय पर जारी यूजीसी फैलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ) के पैटर्न पर उसका कार्यकाल और तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

- vii. फैलोशिप का भुगतान उस वर्ष के 1 अप्रैल से जिसके लिए उम्मीदवार का चयन किया गया है या एमफिल / पीएचडी के तहत पंजीकरण की तारीख से या एम फिल / पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने की तारीख से, जो भी बाद में हो किया जाएगा।
- viii. एकीकृत एम.फिल और पीएचडी या पीएचडी के मामले में, अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। एम.फिल करने के लिए, फैलोशिप दो साल के लिए या एम.फिल शोध प्रबंध जमा करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी।
- ix. इस योजना के तहत एमफिल से पीएचडी तक जारी रखने के लिए अधिकतम अनुमत अंतराल अवधि 2 वर्ष (एम.फिल के परिणाम की घोषणा की तारीख से पीएचडी में प्रवेश की तारीख तक) होगी। तथापि, फैलोशिप का कुल कार्यकाल अंतराल अवधि को छोड़कर पांच वर्ष ही रहेगा। अंतराल अवधि के दौरान कोई फैलोशिप का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- x. फैलोशिप पीएचडी थीसिस जमा करने की तारीख तक या पांच साल के कार्यकाल तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी। फैलोशिप की पांच वर्ष की कुल अवधि से अधिक किसी विस्तार की अनुमति नहीं है।
- xi. किसी भी विश्वविद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान/केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों को फैलोशिप का लाभ उठाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही वे एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए अध्ययन अवकाश या अतिरिक्त साधारण अवकाश पर हों।
- xii. किसी भी फेलो को दूसरी या बाद की बार पुरस्कार (अवार्ड) के लिए विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार फैलोशिप से सम्मानित किया जा सकता है।

## 2.5 फैलोशिप की दर

फैलोशिप की दरें यूजीसी फैलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फैलोशिप (सभी विषयों के लिए)	2 वर्षों के लिए जेआरएफ के पैटर्न/मानदंड पर प्रति माह 31,000 रुपये की दर से। अधिकतम 3 वर्षों की बाद की अवधि के लिए एसआरएफ के पैटर्न/मानदंड पर प्रति माह 35,000 रुपये की दर से।
2	आकस्मिकता व्यय (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य) (कला / ललित कला सहित)	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रु. 10,000/- प्रतिवर्ष की दर से। शेष कार्यकाल के लिए 20,500 रुपये प्रति वर्ष की दर से।

3	विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिकता व्यय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रु. 12,000/- की दर से शेष कार्यकाल के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से।
4	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (विश्वविद्यालय/संस्थान के संबंधित नोडल अधिकारी के सत्यापन के अनुसार)	रु. 2,000/- प्रति माह की दर से
5	मकान किराया भत्ता (एचआरए)	9%, 18% और 27% की दर से उन छात्रों के लिए जिन्हें भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार छात्रावास प्रदान नहीं किया जाता है। जैसाकि रिसर्च फेलो के लिए भारत सरकार के मानदंड लागू हैं।

**नोट:**

(i) एचआरए के बारे में:

- क. यदि स्कॉलरों को उनके संस्थानों द्वारा छात्रावास प्रदान किया जाता है, तो स्कॉलर मेस, बिजली, पानी शुल्क आदि को छोड़कर केवल छात्रावास शुल्क लेने के लिए पात्र है।
- ख. यदि विश्वविद्यालय /संस्थान द्वारा प्रस्तावित छात्रावास उम्मीदवार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह एचआरए के अपने दावे को खो देगा।
- ग. छात्रावास आवास की अनुपलब्धता के मामले में, स्कॉलर को मेजबान (होस्ट) संस्थान द्वारा एकल आवास प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, वास्तविक आधार पर स्कॉलर द्वारा भुगतान किए गए किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार एचआरए की सीमा के अधीन होगी।
- घ. यदि स्कॉलर आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करता है, तो वह भारत सरकार द्वारा शहरों की सीमा और वर्गीकरण के अनुसार एचआरए प्राप्त करने का हकदार होगा।
- ङ. यदि स्कॉलर एचआरए प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने संस्थान को निर्धारित प्रारूप में मासिक रूप से पुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मासिक आधार पर एचआरए का दावा करना आवश्यक है।

(ii) चिकित्सा सुविधाएं, मातृत्व अवकाश सहित अवकाश जैसी अन्य सुविधाएं उनके फैलोशिप कार्यक्रम के मामले में यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होंगी।

## 12.6 चयन की प्रक्रिया:

- i. छात्रों को फैलोशिप प्रदान करने के लिए चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) तथा यूजीसी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) परीक्षणों में प्राप्त अंकों /मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची एनटीए द्वारा अखिल भारतीय आधार पर 'बेंचमार्क दिव्यांगता' की श्रेणी से संबंधित पात्र उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी, जो जेआरएफ और नेट दोनों के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन केवल नेट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
- ii. एनएफपीडब्ल्यूडी के तहत अर्हता प्राप्त उम्मीदवार, जिन्होंने योजना के तहत फैलोशिप के लिए आवेदन के समय प्रवेश प्राप्त नहीं किया है, को पहले उपलब्ध अवसर पर किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एमफिल/पीएचडी के लिए प्रवेश लेना अपेक्षित है, लेकिन फैलोशिप प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- iii. योजना के तहत फैलोशिप का लाभ उठाने की अनुमति देने से पहले उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र की वास्तविकता को संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा एनएफ पीडब्ल्यूडी पुरस्कार विजेताओं के दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद उन्हें अंतिम अनुमोदन के लिए विभाग को भेजा जाएगा।
- iv. फैलोशिप प्रदान करने के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में विभाग के किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी।
- v. परिणाम विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को पुरस्कार पत्र जारी किए जाएंगे।

## 12.7. फैलोशिप का संवितरण

- i. फैलोशिप में शामिल होने और जारी रखने की पुष्टि संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा दी जाएगी। इस प्रमाणीकरण के आधार पर, शोधार्थियों को हर महीने फैलोशिप जारी की जाएगी। तथापि, यदि कोई शोधार्थी पाठ्यक्रम बंद कर देता है या अस्वीकार्य अवकाश पर है और इस प्रकार उस अवधि के दौरान फैलोशिप का हकदार नहीं है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान का नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रबंधन पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

- ii. उम्मीदवारों की भुगतान फाइलों को पीएफएमएस पर विभाग के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और फैलोशिप राशि डीबीटी मोड के माध्यम से स्कॉलरों के संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
- iii. पाठ्यक्रम बंद होने की स्थिति में या अस्वीकार्य अवकाश के मामले में, जो उसे फैलोशिप का हकदार नहीं बनाता है, उम्मीदवार ऐसी स्थिति को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा और वह इस तरह के बंद होने की तारीख के बाद की अवधि या ऐसी अवधि के लिए अस्वीकार्य अवकाश के लिए उसे दी गई फैलोशिप की अधिक भुगतान की गई हो, यदि कोई हो, तो राशि को उसको वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- iv. फैलोशिप और किसी अन्य स्वीकार्य भत्ते का भुगतान लाभार्थियों को आधार से जुड़े उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा।

### 13. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

#### 13.1. उद्देश्य:

अध्ययन के निर्दिष्ट क्षेत्रों में विदेश में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी करने के लिए बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना: (क) इंजीनियरिंग और प्रबंधन (ख) शुद्ध विज्ञान और प्रायोगिक विज्ञान (ग) कृषि विज्ञान और चिकित्सा (घ) वाणिज्य, लेखा और वित्त और (ङ) कानून और ललित कला सहित मानविकी, सामाजिक विज्ञान।

#### 13.2. न्यूनतम योग्यता और पात्रता:

(i) पीएचडी के लिए - प्रासंगिक मास्टर डिग्री में पचपन प्रतिशत (55%) अंक या समकक्ष ग्रेड।

(ii) मास्टर्स डिग्री के लिए: - प्रासंगिक स्नातक की डिग्री में पचपन प्रतिशत (55%) अंक या समकक्ष ग्रेड।

(iii) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट्स (एसजीपी)/संचयी ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (सीजीपीआई) आदि में समकक्ष ग्रेड/क्रेडिट पॉइंट्स के मामले में, संबंधित संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित रूपांतरण कारक स्वीकार किया जाएगा।

(iv) पहले से ही स्नातकोत्तर डिग्री या पीएचडी कर चुके उम्मीदवार या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य एजेंसी/स्वयं निधियों में से किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाकर विदेश में

स्थित संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय से परास्नातक /पीएचडी पूरा करने वाले उम्मीदवार या इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति प्रदान किया जा सकता है।

(v) अभ्यर्थी इसके समस्त स्तर (मास्टर्स / पीएचडी) के पाठ्यक्रम को करने के लिए इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र है। परंतु एक अलग विषय (विज्ञान/कला/वाणिज्य आदि) में, जिसके लिए उसने पहले से ही भारत या विदेश स्थित किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज से योग्यता हासिल कर ली है, इस शर्त के अधीन कि उम्मीदवार ने उसी स्तर के पाठ्यक्रम के लिए केंद्र/राज्य सरकार से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाया है।

### 13.3. आयु

- आवेदन वर्ष की 1 जनवरी को 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

### 13.4. वित्तीय सहायता की प्रमात्रा:

सहायता के प्रकार	दर	उद्देश्य
ट्यूशन फीस	वास्तविकता के अनुसार	
<b>रखरखाव भत्ता</b>		
अमेरिका और अन्य देशों के लिए	यूएस \$ 15400 प्रति वर्ष	बोर्डिंग/लॉजिंग पर किए गए विविध व्यय को पूरा करने के लिए (क) और (ख) देशों में रहने वाले छात्रों को वार्षिक रखरखाव भत्ता स्वीकार्य होगा।
यू.के. के लिए	ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 9900 प्रति वर्ष (जीबीपी)	
<b>आकस्मिकता भत्ता</b>		
अमेरिका और अन्य देशों के लिए	यूएस \$ 1500 प्रति वर्ष	विषय संबंधी सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए पुस्तकों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरा/यात्रा लागत/टाइपिंग और थीसिस बाइंडिंग आदि के लिए स्वीकार्य है।
यू.के. के लिए	जीबीपी 1100 प्रति वर्ष	
आकस्मिक यात्रा भत्ता	यूएस \$ 20/- (केवल बीस यूएस डॉलर) या	

	भारतीय रुपये में इसके बराबर- एक बारगी	
उपकरण भत्ता	यूएस \$ 20/- (यूएस बीस डॉलर केवल) - एक बारगी	
पोल टैक्स	वास्तविक भुगतान किया जाएगा, जहां भी लागू हो।	
चिकित्सा परीक्षण आदि पर अनिवार्य यात्रा व्यय मेजबान (होस्ट) देश की आवश्यकताओं के अनुसार	बिल जमा करने पर वास्तविक भुगतान किया जाएगा।	
बैंक लेन-देन शुल्क	बिल जमा करने पर कन्वर्जन चार्ज + सर्विस चार्ज + टीसीएस + एक्सचेंज कमीशन का भुगतान किया जाएगा।	
वीजा शुल्क	वीजा शुल्क का भुगतान भारतीय रुपये में वास्तविकता के अनुसार किया जाएगा	
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	वास्तविकता के अनुसार	
हवाई यात्रा की लागत	<p>क) अवार्डिज़ (राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति) को तीन अधिकृत ट्रेवल एजेंटों अर्थात् वामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी), भारतीय रेलवे केटरिंग और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) से हवाई टिकट (भारत में गृहनगर के निकटतम हवाई अड्डे से शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान और भारत वापसी) खरीदने की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त के साथ कि खरीदा गया टिकट बुकिंग की तारीख पर इकोनॉमी क्लास/सबसे छोटे रास्ते का होना चाहिए।</p> <p>ख) अवार्डिज़ (छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं) के लिए टिकट की बुकिंग के लिए ट्रेवल एजेंट का विकल्प खुला छोड़ दिया गया है, को कोई बुकिंग शुल्क/अतिरिक्त सामान (बैगेज)/ कैंसिलेशन शुल्क और अन्य ऐड-ऑन की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।</p> <p>ग) अवार्डिज़ (छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता) विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने और विश्वविद्यालय</p>	

	<p>से ज्वाइनिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद विदेश में संबंधित भारतीय मिशन से हवाई किराए की प्रतिपूर्ति का दावा करेंगे। संशोधित शर्तें 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगी।</p> <p>घ) वापसी टिकट विदेश में भारतीय मिशन द्वारा बुक किए जाएंगे</p>
अंग्रेजी भाषा/अन्य परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए परीक्षा शुल्क	<p>विदेश स्थित संस्था/विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अपेक्षित अंग्रेजी भाषा/अन्य परीक्षाओं जैसे जीआरई, जीमैट, टीओईएफएल, आईईएलटीएस आदि में उपस्थित होने के लिए एक बारगी परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा वास्तविक के अनुसार अधिकतम 50,000/- रुपये के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी।</p>
स्थानीय यात्रा	<p>जहां अवार्डी की यात्रा संपन्न होती है, वहां बंदरगाह से लेकर अध्ययन स्थान तक जाने और फिर वहां से वापस आने के लिए द्वितीय श्रेणी रेलवे किराया है। दूर-दराज के स्थानों के मामले में जो रेल से नहीं जुड़े हैं, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस का किराया, बड़ी नाव (फेरी) द्वारा पार करने का वास्तविक शुल्क, निकटतम रेल-सह-एअरस्टेशन तक हवाई किराया और/या द्वितीय श्रेणी के रेल किराए बंदरगाह जहां से यात्रा अवार्डी की यात्रा शुरू होगी वहां से सबसे छोटे रास्ते से गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वापिस आने के किराए की प्रतिपूर्ति मिशन विदेश स्थित भारतीय द्वारा की जाएगी।</p>
अनुसंधान/शिक्षण सहायता जहाज से आय	<p>अवार्डीज को अनुसंधान/शिक्षण सहायक पद के जरिए अपनी स्वीकार्य भत्ते पूरी करने की अनुमति है जो प्रति वर्ष 2400/- अमेरिकी डॉलर (दो हजार चार सौ अमरीकी डॉलर) तक है और यूनाइटेड किंगडम में अवार्डीज के लिए 1560/- जीबीपी (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक हजार पांच सौ साठ मात्र) प्रति वर्ष तक है। स्वीकार्य सीमा से ज्यादा होने पर, योजना के तहत वार्षिक रखरखाव भत्ता तदनुसार कम कर जाएगा ।</p>

### 13.5. वित्तीय सहायता के साथ अवार्ड की अवधि:

निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान के पूरा होने अथवा निम्नलिखित अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रदान की जाती है:-

(i) पीएच.डी. - 04 वर्ष (चार वर्ष)

(ii) मास्टर्स डिग्री - पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर 1/2/3 वर्ष (एक/दो/तीन वर्ष)

नोट: (i) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के स्तरों के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी वहां रहने की अवधि को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना भारत लौटने के लिए हवाई मार्ग से आने के अलावा विचार किया जा सकता है, यदि शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय के साथ-साथ विदेश स्थित भारतीय मिशन में सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होती है, यह प्रमाणित करते हुए कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उम्मीदवार की सुविधा हेतु एक निर्दिष्ट अवधि तक रहना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास होगा।

(ii) पाठ्यक्रम पूरा होने या छात्रवृत्ति की अवधि के बाद विदेश स्थित रहने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति वित्तीय सहायता/भारत में वापसी टिकट के बिना दी जाती है।

### 13.6. चयन प्रक्रिया:

- i. योजना की शर्तों के अनुसार, अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, उम्मीदवार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आवेदन करेंगे। विकसित किए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल के चालू होने के बाद, आवेदन केवल उस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीदवार इस विभाग को आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र (विभाग की वेबसाइट [www.disabilityaffairs.gov.in](http://www.disabilityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध) भेजेंगे। नियोजित उम्मीदवारों को इस विभाग में अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ii. योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। चयन समिति पात्र उम्मीदवारों का आकलन उनकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव, उनकी दिव्यांगता की श्रेणी और प्रतिशत, विदेश स्थित विश्वविद्यालय और जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश लेने का प्रस्ताव करते हैं, आदि के आधार पर करेगी और वार्षिक स्लॉट की स्वीकृत संख्या के भीतर एक मेरिट सूची तैयार करेगी जो अंततः और निर्णायक रूप से चयन प्रक्रिया को पूरा करेगी।
- iii. संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि छात्रवृत्ति प्रदत्त अभ्यर्थी (अवार्डी) पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय को बदलना चाहता है, तो वह नए सिरे से आवेदन कर सकता है।
- iv. छात्रवृत्ति प्रदत्त अभ्यर्थी (अवार्डी) को पुष्टिकरण पत्र जारी करने के बाद, उम्मीदवार को छह महीने के भीतर मूल दस्तावेजों के सत्यापन, बॉन्ड, सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र आदि जमा करने जैसी सभी प्रक्रियाओं को

पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा अवार्ड पत्र स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

### 13.7. अनिवार्य शर्तें:

- i. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश प्राप्त करने और चयन होने की सूचना प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विदेश स्थित एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में शामिल होने की आवश्यकता होती है। इस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, अवार्ड स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। यदि उम्मीदवार अभी भी योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो वह नए सिरे से आवेदन कर सकता है।
- ii. चयनित उम्मीदवार को नोटरी पब्लिक के समक्ष गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 50,000/- रुपये (पचास हजार) के लिए अलग-अलग दो जमानतों के साथ एक जमानती (श्यूरटी) बांड निष्पादित करना आवश्यक है, और समान राशि के लिए अलग से सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र भी निष्पादित करना होगा, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों के पास 50,000 रुपये की न्यूनतम राशि की संपत्ति/धन है।
- iii. इस योजना का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरा होने के एक महीने के अंदर भारत लौटना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विदेश स्थित रहना चाहता है, तो भारत में वापसी हवाई टिकट सहित बिना किसी भी वित्तीय सहायता के इसकी अनुमति दी जाती है। भारत लौटने के इच्छुक छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को विदेश स्थित भारतीय दूतावास को पहले से सूचित करना आवश्यक है और उसे अपने वापसी के बारे में विभाग को भी सूचित करना चाहिए।
- iv. उम्मीदवार एक वचन पत्र देगा कि वह अपने विश्वविद्यालय को विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देगा।
- v. उम्मीदवार को एक वचन पत्र देना होगा कि वह इस योजना के तहत आवेदन करने वाले पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज सहित किसी भी सरकारी/अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा है।
- vi. इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) के पति/पत्नी/बच्चों/भाई-बहनों/माता-पिता/अभिभावक के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता/कोई अन्य सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
- vii. सभी प्रशासनिक मामले जैसे अध्ययन अवकाश वेतन, आदि, सीधे उम्मीदवार द्वारा अपने नियोक्ता के साथ और सेवारत संगठन के नियमों के अनुसार समाधान किए जाएंगे। डीईपीडब्ल्यूडी इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा या कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

- viii. घर पर किसी आपात स्थिति के मामले में, जहां उम्मीदवार को इसमें भाग लेने के लिए कुछ समय के लिए भारत लौटने की आवश्यकता होती है, छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को भारतीय मिशन और शैक्षणिक संस्थान को सूचित करने के बाद जहां अध्ययन किया जा रहा है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत लौटने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को यात्रा के लिए आने-जाने का यात्रा खर्च वहन करना होगा और विदेश स्थित अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान से दूर रहने की अवधि के लिए योजना के तहत रखरखाव भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और रखरखाव भत्ते का भुगतान इस विभाग द्वारा केवल उसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की तारीख से किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को घर पर स्थिति से निपटने के बाद, जितनी जल्दी हो सके अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान पर लौटना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर, उसे चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- ix. यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी कि वह उस देश के लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करे जहां वह योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करके अध्ययन करना चाहता है। भारत सरकार वीजा प्राप्त करने के लिए किसी उम्मीदवार को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- x. चयनित उम्मीदवारों को ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसे करारों (एग्रीमेंट) में शामिल होना होगा जो उनके प्रस्थान से पहले समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।
- xi. यदि छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से या उसकी ओर से कार्य करने वाली किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से ज्यादा/अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है, तो वह इसे भारत सरकार को वापस करने के लिए उत्तरदायी है और भारत सरकार के अनुरोध पर उसका नियोक्ता (यदि कोई हो) अपनी देय राशि से अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए अधिकृत है तथा बाद में इसे भारत सरकार को वापस कर दे।
- xii. भारत सरकार का निर्णय ऐसे सभी मुद्दों पर अंतिम होगा, जो समय-समय पर सामने आ सकते हैं।
- xiii. उम्मीदवार अध्ययन या अनुसंधान के पाठ्यक्रम को नहीं बदलेगा जिसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। तथापि, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में पीएचडी कर रहे किसी छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को अपने गाइड के चले जाने पर एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है और उसका तत्काल प्रतिस्थापन नहीं है या विश्वविद्यालय/संस्थानों ने क्षेत्र में अनुसंधान सहायता सुविधाओं को बंद कर दिया है; ऐसे मामलों में विदेशों में स्थित भारतीय मिशन छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) को विश्वविद्यालय/संस्थानों को बदलने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है, बशर्ते कि परंतु मिशन को ऐसी आवश्यकता के बारे में पूरी संतुष्टि होनी चाहिए, पूर्व विश्वविद्यालय/संस्थान में छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार द्वारा अर्जित क्रेडिट, यदि कोई हो, दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थाओं द्वारा ट्रांसफर के लिए स्वीकार्य हो तथा पुरस्कार योजना की कुल अवधि अपरिवर्तित रहेगी और इस तरह के स्थानांतरण/परिवर्तन की अनुमति पुरस्कार अवधि के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।

- xiv. किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों और स्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों पर जो योजना दिशानिर्देशों के तहत शामिल नहीं हैं, छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवारों पर विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

### 13.8. योजना के तहत चूककर्ताओं के लिए जुर्माना:

यदि विदेश स्थित अध्ययन करने वाला कोई उम्मीदवार उसके द्वारा निष्पादित बांड के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और यह कि शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय विदेश स्थित भारतीय मिशन को अध्ययन और/या आचरण पर अपनी प्रतिकूल रिपोर्टों के बारे में सूचित करता है और/या कि उम्मीदवार किसी अन्य देश जाता है या फरार हो जाता है या किसी अन्य विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल हो जाता है या/और विदेश स्थित भारतीय मिशन को सूचित किए बिना आपात स्थिति में भारत लौटता है, तो उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा और उस पर खर्च की गई पूरी राशि को ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा जो 12% प्रति वर्ष होगा और यदि कोई छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) इस तरह के रिफंड की मांग की तारीख से छह महीने के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि पर सामान्य से 2.5% अधिक ब्याज दर पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

### 13.9. गलत जानकारी प्रस्तुत करना

यदि किसी उम्मीदवार ने कोई गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसके बारे में सत्यापन के समय पता चलता है, तो उसे दिया गया एनओएस रद्द हो जाएगा और यदि उसने इसका लाभ उठाया है या लाभ उठा रहा है, तो उस पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ खर्च की गई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और नियोजित उम्मीदवार को ऐसे कृत्य के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार संबंधित नियोक्ताओं के साथ मामले को उठाएगी। इसलिए, संबंधित नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस विभाग को इसे अग्रपिछित करने से पहले अपने कर्मचारियों के आवेदन की विषय-वस्तु का सावधानीपूर्वक अध्ययन भी करें। नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित उम्मीदवारों पर उनके साथ ऐसे बांड निष्पादित करने के लिए जोर देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जैसा कि वे उचित और आवश्यक समझते हैं और जो ऐसे मामलों में अपने मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार है।

### 13.10. भारतीय मिशन की भूमिका

- भारतीय मिशन विदेश स्थित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को ट्यूशन फीस का भुगतान सीधे करेगा और उनके अधिकार क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों को रखरखाव भत्ता/अन्य भत्ते प्रदान करेगा।

ii. यदि छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ है, तो उसे चूककर्ता घोषित किया जाएगा और चूककर्ता खंड में निर्धारित ब्याज के साथ उस पर खर्च की गई पूरी राशि की वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, यदि उम्मीदवार के गाइड/विभाग के प्रमुख यह प्रमाणित करते हैं कि उम्मीदवार द्वारा पढ़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता/समर्पण/ध्यान में कमी नहीं पाई गई है तो डीईपीडब्ल्यूडी को योजना के तहत चूककर्ता के शास्ति खंड से छूट देने का अधिकार होगा। ऐसे सभी मामलों में भारतीय मिशन सबसे छोटे मार्ग और इकोनॉमी क्लास द्वारा भारत के लिए वापसी हवाई मार्ग प्रदान करेंगे।

iii. भारतीय मिशनों से यह अपेक्षित है कि वे छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) की भारत वापसी के बारे में इस विभाग को सूचित करें।

### 13.11. निगरानी (मॉनीटरिंग)

i. विदेश स्थित भारतीय मिशन उस विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान से द्वि-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेंगे जहां छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार अपनी पढ़ाई कर रहा है। मिशन इस विभाग को छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार (अवार्डी) के मामले में ऐसे गंभीर प्रतिकूल घटनाक्रमों के बारे में सूचित करेंगे, जिनके लिए छात्रवृत्ति को आगे जारी रखने या अन्यथा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

ii. रख-रखाव भत्ते का भुगतान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से जुड़ा हुआ है। पहले सेमेस्टर/छह महीने के लिए, छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार को अग्रिम के रूप में रख-रखाव भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद, अगले सेमेस्टर/छह महीने के लिए रख-रखाव भत्ते का भुगतान पहले छह महीने/सेमेस्टर के लिए छात्रवृत्ति प्रदत्त उम्मीदवार की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय मिशन द्वारा कोई निधि जारी नहीं की जाएगी।

iii. विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा उम्मीदवारों द्वारा किए गए छात्रवृत्ति राशि के वितरण/विविध खर्च आदि की प्रतिपूर्ति विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाएगा।

## 14. योजना के सभी घटकों के लिए सामान्य प्रावधान

### 14.1. योजना का प्रचार और आवेदन आमंत्रित करना:

योजना का उचित समय पर विज्ञापन दिया जाएगा और इसे लक्षित समूह के ध्यान में लाने के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से उपयुक्त रूप से प्रचारित किया जाएगा।

#### 14.2. प्रशासनिक व्यय:

योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए, प्रशासनिक व्यय के कुल बजट के 3% से अधिक का प्रावधान नहीं किया जाएगा।

#### 14.3. मुकदमें:

इस योजना से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

#### 14.4. योजना के प्रावधानों में बदलाव:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श से सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से, जब भी आवश्यक महसूस हो, इस योजना के प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।

#### 14.5. समीक्षा और मॉनीटरिंग:

योजना के सभी छह घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे –

क)	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,	अध्यक्ष
ख)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित संयुक्त सचिव,	• सदस्य
ग)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रभारी)	• सदस्य
घ)	संयुक्त सचिव (टीडी), जनजातीय कार्य मंत्रालय	• सदस्य
ङ)	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	• सदस्य
च)	संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	• सदस्य
छ)	संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• सदस्य

ज)	यूजीसी के प्रतिनिधि	• सदस्य
झ)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित निदेशक/उप सचिव	• संयोजक

समिति के अध्यक्ष विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं, जब भी वह आवश्यक समझे। समिति, अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाने पर बैठक कर सकती है और योजना के संचालन के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

#### अनुबंध-1

#### शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त अधिसूचित संस्थानों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम	स्थान	राज्य
<b>1. इंजीनियरिंग /एग्रीकल्चर</b>			
<b>I - आईआईटी [16]</b>			
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, दिल्ली	हौज़ खास, नई दिल्ली-110016	दिल्ली
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर	खड़गपुर-721302	पश्चिम बंगाल
3.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कानपुर	पीओआईआईटी, कानपुर- 208076	उत्तर प्रदेश
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मुंबई	पोवई, मुंबई -400076	महाराष्ट्र
5.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, गुवाहाटी	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, पान बाजार, गुवाहाटी-781001	असम
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रूड़की	रूड़की-247667	उत्तराखंड
7.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, चेन्नई	पीओआईआईटी, चेन्नई- 600036	तमिलनाडु

8.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रोपड़	रोपड़, पंजाब	पंजाब
9.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, भुवनेश्वर	निदेशक का कार्यालय, आईआईटी खड़गपुर-721302	ओडिशा
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, राजस्थान	निदेशक, आईआईटी राजस्थान, तृतीय तल, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग	राजस्थान
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, गांधीनगर	विश्वकर्मा सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज चांदखेड़ा, गांधीनगर-382424	गुजरात
12.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, पटना	आईआईटी पटना, नवीन गवर्मेन्ट पोलीटेक्निक केम्पस, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना- 800013	बिहार
13.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, हैदराबाद	आईआईटी हैदराबाद ऑर्डनेंस फैक्टरी एस्टेट, येदुमैलाराम - 502205	आंध्र प्रदेश
14.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मंडी	आईआईटी रूड़की, रूड़की-247667	हिमाचल प्रदेश
15.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, इंदौर	तीसरी मंजिल, मुख्य भवन, आईआईटी-बॉम्बे, मुंबई-400076	मध्य प्रदेश
16.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, वाराणसी	(बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी - 221005 (यूपी))	उत्तर प्रदेश
<b>II-एनआई टी [30]</b>			
17.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, वारंगल	वारंगल -5 06004	आंध्र प्रदेश
18.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सिलचर	सिलचर-788010	असम
19.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, पटना	पटना-800005	बिहार
20.	सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सूरत	सूरत-3 95607	गुजरात

21.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जमशेदपुर	जमशेदपुर-831014	झारखंड
22.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सूरथकल	सूरथकल- 5 74157	कर्नाटक
23.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कालीकट	एनआईटी केम्पस पीओ, कालीकट-673601	केरल
24.	विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, नागपुर	साउथ अमबाज़ारी रोड, नागपुर , पिन: 440010	महाराष्ट्र
25.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, राउरकेला	राउरकेला 769008	ओडिशा
26.	डॉ बीआर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जालंधर	जालंधर-144004	पंजाब
27.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी,, कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र-132119	हरियाणा
28.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, हमीरपुर	हमीरपुर-177001	हिमाचल प्रदेश
29.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, हजरतबल	हजरतबल, श्रीनगर -190006	जम्मू एवं कश्मीर
30.	मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी,	भोपाल-462007	एमपी
31.	मलावीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जयपुर	जयपुर-302017	राजस्थान
32.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, दुर्गापुर	दुर्गापुर- 713209	पश्चिम बंगाल
33.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, त्रिची	तिरुचिरापल्ली- 620015	तमिलनाडु
34.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, इलाहाबाद	इलाहाबाद-211,004	उत्तर प्रदेश
35.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, अगरतला	अगरतला	त्रिपुरा
36.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
37.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मणिपुर	मणिपुर (एनआईटी अगरतला- 799055)	मणिपुर
38.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सिक्किम	सिक्किम (एनआईटी कालीकट -673601, केरल)	सिक्किम

39.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश (एनआईटी दुर्गारपुर- 713209)	अरुणाचल प्रदेश
40.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड	उत्तराखंड (एनआईटी कुरुक्षेत्र- 136119, हरियाणा )	उत्तराखंड
41.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिजोरम	मिजोरम (विश्वेश्वरया एनआईटी, नागपुर - 440011)	मिजोरम
42.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागालैंड	नागालैंड (एनआईटी सिलचर- 788010, असम)	नागालैंड
43.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेघालय	मेघलाय ( सरदार वल्लभभाई एनआईटी, सूरत-395007, गुजरात)	मेघालय
44.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोवा	गोवा (एनआईटी सुरथकल) -575025,कर्नाटक)	गोवा
45.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुदुचेरी	पुदुचेरी (एनआईटी तिरुचिरापल्ली 620015, तमिलनाडु)	पुदुचेरी
46.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	दिल्ली (एनआईटी वारंगल -506004, एपी)	दिल्ली
<b>III-आईआईआईटी [20]</b>			
47.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद	देवघाट, झलवा, इलाहाबाद-211011	उत्तर प्रदेश
48.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड मैनेजमेंट ग्वालियर	एमआईटीएस परिसर, ग्वालियर- 474075	मध्य प्रदेश
49.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मेनुफेक्चुरिंग जबलपुर	जबलपुर	मध्य प्रदेश
50.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मेनुफेक्चुरिंग कांचीपुरम	कांचीपुरम	तमिलनाडु
51.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, चित्तूर	चित्तूर में सत्यवेदु मंडल का मालवैपालेम गांव	आंध्र प्रदेश

52.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, काकीनाडा	गांव कूना, गोदावरी जिला, काकीनाडा के पास	आंध्र प्रदेश
53.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी	गांव - बोंगोरा (चयानी मौजा के अंतर्गत), डाकघर - मिर्जा, जिला कामरूप	असम
54.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वडोदरा	विलेज निमेटा, तालुक वाघोडिया, जिला वडोदरा	गुजरात
55.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सोनीपत	गांव किलोर्ड, सोनीपत	हरियाणा
56.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऊना	ऊना	हिमाचल प्रदेश
57.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, धारवाड़	कर्नाटक विश्वविद्यालय का परिसर, धारवाड़	कर्नाटक
58.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कोट्टायम	गांव वल्लीचिरा, मीनाचिल तालुक, कोट्टायम	केरल
59.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल	ग्राम बरखेड़ा नाथू, तहसील-फंदा, भोपाल	मध्य प्रदेश
60.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पुणे	ग्राम नानोली, तहसील-मावा, जिला पुणे	महाराष्ट्र
61.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेनापति	सेनापति जिले के कांगपोकपी उपमंडल का गांव निंगथौफाम	मणिपुर
62.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कोटा	राणपुर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 12, कोटा	राजस्थान
63.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, , ग्राम सेथुरापट्टी, श्रीरंगम तालुक, तिरुचिरापल्ली जिला	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु

64.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पश्चिम त्रिपुरा	बोधजंग नगर औद्योगिक एस्टेट, ख्यारपुर, बोधजंग नगर, पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा
65.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	चक गजरिया, जिला लखनऊ	उत्तर प्रदेश
66.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नादिया	कल्याणी जिला, नादिया	पश्चिम बंगाल
<b>IV- एमएचआरडी और अन्य मंत्रालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अन्य केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज [15]</b>			
67.	स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली	4-ब्लॉक-बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002.	दिल्ली
68.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची	हटिया, रांची-834003	झारखंड
69.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई	विहार लेक, मुंबई-400087	महाराष्ट्र
70.	भारतीय खान विद्यालय धनबाद	धनबाद-826004	बिहार
71.	नोर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर	निर्जुली-79110, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
72.	संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़	कोठी नंबर 178, सेक्टर II-क, चंडीगढ़	चंडीगढ़
73.	इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी	वाराणसी-221005	उत्तर प्रदेश
74.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़	सेक्टर-12, चंडीगढ़-160012	चंडीगढ़
75.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (फॉरमरली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग)	शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, रोहिणी, नई दिल्ली- 110042	दिल्ली
76.	स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल	प्रथम तल, स्पार्ट्स कॉम्प्लेक्स, एमएएनआईटी, भोपाल-51	मध्य प्रदेश

77.	स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेचर, विजयवाड़ा	एसवाई.सं. 7 1/1, एनएच-5, निदामानूरु, विजयवाड़ा -521104	आंध्र प्रदेश
78.	राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी), रायबरेली	टाटापुर चौक, राय बरेली-229316	उत्तर प्रदेश
79.	इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी (आईएमयू), चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
80.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम, केरल	वलियामाला पी.ओ., तिरुवनंतपुरम - 695547	केरल
81.	नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली	आजाद हिंद फौज मार्ग, सेक्टर-3, द्वारका, नई दिल्ली	दिल्ली
<b>V-गैर-सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान[3]</b>			
82.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	गाचीबोवली, अपोजिट सीएमसी, हैदराबाद- 500032	आंध्र प्रदेश
83.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी, बैंगलोर	26/सी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बैंगलोर-560100	कर्नाटक
84.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	पार्क सेंटर, टेक्रो पार्क केम्पस, तिरुवनंतपुरम	केरल
<b>VI-अन्य गैर-सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान[9]</b>			
85.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीलानी	पिलानी-333031	राजस्थान
86.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा	गोवा केम्पस	गोवा
87.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड साइंस मेसरा	मेसरा-835215	रांची

88.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी, पटियाला	पी.ओ. बॉक्स 32, भादसन रोड, पटियाला - 147004	पंजाब
89.	सीवी रमन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा
90.	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा
91.	श्री गोविंद्रम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाई एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस) इंदौर	23, पार्क रोड इंदौर- 452003 (एमपी) इंदौर	मध्य प्रदेश
92.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेल्लोर	वेल्लोर	तमिलनाडु
93.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
<b>2. प्रबंधन</b>			
<b>I-आईआईएम[19]</b>			
94.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	वस्तापुर, अहमदाबाद -380015	गुजरात
95.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलोर	बैनरघाट रोड, बेंगलोर- 560076	कर्नाटक
96.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता	जोका, पोस्ट बॉक्स नंबर 16757, एलिपारा पीओ, कोलकाता-700027	पश्चिम बंगाल
97.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ	पोस्ट बॉक्स नं. 2, अलीगंज एक्सटेशन, पार्ट II, लखनऊ-226020	उत्तर प्रदेश
98.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड	कोझिकोड, कालीकट- 673601	केरल
99.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर	इंदौर	मध्य प्रदेश _
100.	राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग	मयूरभंज कॉम्प्लेक्स, नोंगटमई, शिलांग-793014	मेघालय

101.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट रायपुर	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केम्पस, ओल्ड धामतारी रोड, सेजबहार, रायपुर- 492015	छत्तीसगढ़
102.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट रोहतक	ह्युमनिटीज़ ब्लॉक, एमडीयू रोहत, रोहतक-124001	हरियाणा
103.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट रांची	सूचना भवन, ऑड्रे हाउस केम्पस, मेयर्स रोड, रांची- 834008	झारखंड
104.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट उदयपुर	पोलीमर साइंस बिल्डिंग, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान
105.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली	एनआईटी त्रिची में स्थित	तमिलनाडु
106.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट काशीपुर	एस्कॉर्ट फ़ार्म, काशीपुर, उत्तराखंड	उत्तराखंड
107.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
108.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, गया	गया	बिहार
109.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, सिरमौर	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश
110.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, नागपुर	नागपुर	महाराष्ट्र
111.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, अमृतसर	अमृतसर	पंजाब
112.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, संबलपुर	संबलपुर	ओडिशा
<b>II-अन्य सरकारी /अर्ध - सरकारी प्रबंधन और शिक्षा [ 6]</b>			
113.	इंस्टीट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट आनंद	पोस्ट बॉक्स सं. 60, आनंद - 388001	गुजरात

114.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल	पोस्ट बॉक्स -357, नेहरू नगर, भोपाल - 462003	मध्य प्रदेश
115.	फेकल्टी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज , दिल्ली यूनिवर्सिटी	दिल्ली-110007	दिल्ली
116.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडसट्रियल इंजीनियरिंग (एनआईटीआईईई) मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
117.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फोरेन ट्रेड नई दिल्ली	आईआईएफटी भवन, बी-21, कुतुब इंस्टीट्यूट एआरएस, नई दिल्ली	दिल्ली
118.	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट गुडगांव	महरौली रोड, सुखराली, गुडगांव - 122007	हरियाणा
<b>III-गैर-सरकारी प्रबंधन संस्थान [9]</b>			
119.	इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, (आईएमटी) गाजियाबाद	राज नगर, गाजियाबाद- 201001	उत्तर प्रदेश
120.	जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट , भुवनेश्वर	जेवियर स्कूयार, जयादेव विहार, भुवनेश्वर- 751013	ओडिशा
121.	सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे	सेनापति बापट रोड, पुणे- 411004	महाराष्ट्र
122.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई	वीएल मेहता रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056	महाराष्ट्र

123.	भारती विद्यापीठ पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
124.	एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
125.	जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट, मुंबई	मुंबई	महाराष्ट्र
126.	एक्सएलआरआई स्कूल ऑफ बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जमशेदपुर	सर्कुलर हाउस एरिया पूर्व), जमशेदपुर - 831035	झारखंड

127.	एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पटना	पटना	बिहार
------	--	------	-------

### 3. विधि (14)

#### I. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी [12]

128.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी	पोस्ट ऑफिस-7201, नगरभवी, बेंगलुरु - 560072	कर्नाटक
129.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
130.	एनएएलएसआर (नालसर) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद	बरकतपुरा, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
131.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर	एनएच - 65, नागौर रोड, मंडोर, जोधपुर - 342304	राजस्थान
132.	द डब्ल्यूबी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिशियल साइंसेज कोलकाता	डॉ. अम्बेडकर भवन 12, एलबी ब्लॉक, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700098	पश्चिम बंगाल
133.	हिदायातुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर	एचएनएलयू भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001	छत्तीसगढ़

134.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर	ई-4, जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट, सेक्टर 26, गांधीनगर- 382028	गुजरात
135.	राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	सेक्टर डी-1, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ- 226012	उत्तर प्रदेश
136.	राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला	मोहिन्द्रा कोठी, माल रोड, पटियाला- 147001	पंजाब
137.	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना	न्याय नगर, मीठापुर, पटना- 800001	बिहार
138.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़, कोच्चि	कलूर, कोच्चि-682017	केरल
139.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	सेक्टर 14, द्वारका, नई दिल्ली- 110078	दिल्ली
<b>II-अन्य विधि संस्थान[2]</b>			
140.	आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे	लॉ कॉलेज रोड पुणे - 411004	महाराष्ट्र
141.	सिम्बोसिस लॉ कॉलेज पुणे	सेनापति बापट रोड, वाडेरवाडी, पुणे	महाराष्ट्र
<b>4.मेडिसीन (27)</b>			
<b>I-सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स [8]</b>			
142.	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली	अंसारी नगर, नई दिल्ली	दिल्ली
143.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट- ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट	धन्वंतरि नगर, गोरीमेडु, पांडुचेरी- 605006	पांडुचेरी

144.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना	पटना	बिहार
145.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
146.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
147.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा
148.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान
149.	आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश	ऋषिकेश	उत्तराखंड
<b>II-अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज[14]</b>			
150.	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुपति	टाउन क्लब, अलीपिरी रोड, चित्तूर जिला, तिरुपति - 517507	आंध्र प्रदेश
151.	गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद	मुशीराबाद, सिकंदराबाद- 500029	आंध्र प्रदेश
152.	वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग अस्पताल दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली
153.	बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद	अहमदाबाद - 380016	गुजरात
154.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कालीकट	कोझिकोड, कालीकट - 673008	केरल

155.	मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम, केरल - 695011	केरल
156.	किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	लखनऊ - 226003	उत्तर प्रदेश
157.	गवर्नमेंट वेल्लोर मेडिकल कॉलेज	वेल्लोर	तमिलनाडु
158.	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली	बहादुरशाह जफर रोड, न्यू दिल्ली - 110002	दिल्ली
159.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली	भगत सिंह रोड, नई दिल्ली -110001	दिल्ली
160.	इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी	बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी- 221005	उत्तर प्रदेश
161.	मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई	डॉ. ईवीआर सलाई, चेन्नई- 600003	तमिलनाडु
162.	ग्रैंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मुंबई	सर जे जे अस्पताल, बाईकुला, मुंबई - 400008	महाराष्ट्र
163.	किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई	आचार्य डोंडे मार्ग, परेल, मुंबई- 400012	महाराष्ट्र
<b>III- गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेज[5]</b>			
164.	एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़	सत्तूर, धारवाड़- 580009	कर्नाटक
165.	पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, मुंबई	न्यू मुंबई- 400706	महाराष्ट्र
166.	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर	थोटापालायम, वेल्लोर	तमिलनाडु
167.	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना	लुधियाना-141008	पंजाब

168.	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडियल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम	केरल
<b>5. एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज[5]</b>			
<b>केंद्र सरकार के संस्थान</b>			
169.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली	पूसा, नई दिल्ली- 110012	दिल्ली
170.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल	भोपाल- 462038	मध्य प्रदेश
171.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ काउंटन टेक्नोलॉजी मुंबई	एडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई- 400019	महाराष्ट्र
172.	इंडियन वेटरिनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर	इज्जतनगर- 243122	उत्तर प्रदेश
173.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बेंगलुरु	जनाना भारती कैम्पस, पी. ओ. मालाथैली, बेंगलुरु - 560056	कर्नाटक
<b>6. साइंस स्टैटिस्टिकल स्टडीज फंडामेंटल रिसर्च[4]</b>			
<b>इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट/आईआईएससी</b>			
174.	इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली	7, एसजेएस सानसनवाल मार्ग, नई दिल्ली- 110016	दिल्ली
175.	इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु	8 मील, मैसुरु रोड, बेंगलुरु - 560059	कर्नाटक
176.	इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता	203, बैरकपुर ट्रंक रोड, कोलकाता- 700108	पश्चिम बंगाल
177.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु	बेंगलुरु- 560012	कर्नाटक
<b>7. फैशन/डिज़ाइन(17)</b>			
<b>नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी</b>			

178.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली	हौज़खास, गुलमोहन पार्क के निकट, नई दिल्ली- 110016	दिल्ली
179.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु	निफ्ट कैम्पस, सीए साइट नंबर: 21, सेक्टर- 1,27 वीं मेन, बेंगलुरु	कर्नाटक
180.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल	निफ्ट ब्लॉक, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी कैम्पस, कोलार रोड, भोपाल- 462042	मध्य प्रदेश
181.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई	निफ्ट कैम्पस, राजीव गांधी सलाई, तारामणि, चेन्नई- 600113	तमिलनाडु
182.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर	निफ्ट कैम्पस, जीएच-ओ, रोड, इन्फो सिटी के पीछे, गांधीनगर- 382007	गुजरात
183.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद	निफ्ट कैम्पस, अपोजिट हाई-टेक सिटी वार्ड, माधापुर, हैदराबाद - 500081	आंध्र प्रदेश
184.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कन्नूर	आईएचटीटी कैम्पस, थोटाडा, किझुन्ना-पोस्ट, कन्नूर - 670007	केरल
185.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुम्बई	निफ्ट कैम्पस, प्लॉट नं.15, सेक्टर-4, खारघर, नवी मुम्बई- 410210	महाराष्ट्र
186.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कोलकाता	निफ्ट कैम्पस, प्लॉट- 3बी, ब्लॉक-एलए, 16 नंबर वॉटर टैंक के निकट, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता- 700098	पश्चिम बंगाल
187.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना	निफ्ट कैम्पस, द्वितीय तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के सामने, पटना- 04	बिहार
188.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली	निफ्ट कैम्पस, विद्या मंदिर, आईटीआई प्रीमिजेज, दूरभाष नगर, रायबरेली- 229010	उत्तर प्रदेश

189.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी शिलांग	निफ्ट कैम्पस, उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी रीजिनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (ओल्ड एनईआईजीआरआईएचएमएस कैम्पस), 'सी' ब्लॉक, पाश्चर हिल्स लॉमाली, शिलांग- 793012	मेघालय
190.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद	पालडी, अहमदाबाद- 380007	गुजरात
191.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कांगड़ा	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
192.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा
193.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान
194.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, श्रीनगर	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
<b>8.हॉस्पिटलिटी(25)</b>			
<b>इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन[22]</b>			
195.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन दिल्ली	पूसा, नई दिल्ली- 110012	दिल्ली
196.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन अहमदाबाद	गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कम्पाउंड, अहमदाबाद- 380015	गुजरात
197.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक और एप्लाइड न्यूट्रिशन गोवा	ऑल्टो पोरवोरियम, बर्देज़, गोवा- 403521	गोवा
198.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक. एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन बेंगलुरु	एसजे पॉलीटेक्निक कैम्पस, शेपाद्रि रोड, बेंगलुरु - 560001	कर्नाटक
199.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन भोपाल	क्वार्टर्स, नियर अकादमी ऑफ एडमिन भोपाल- 462016	मध्य प्रदेश

200.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन हैदराबाद	रो, दुर्गाबाई देशमुख कॉलोनी, विद्यानगर हैदराबाद- 500007	आंध्र प्रदेश
201.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन जयपुर	नियर बनी पार्क पुलिस स्टेशन, सीकर रोड, जयपुर- 302016	राजस्थान
202.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन कोलकाता	पी-16, ताराटोला रोड, कोलकाता- 700088	पश्चिम बंगाल
203.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन लखनऊ	सीड फार्म, सेक्टर - जी, अलीगंज, लखनऊ- 226020	उत्तर प्रदेश
204.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और एप्लाइड न्यूट्रिशन मुंबई	वीर सावरकर मार्ग, दादर (डब्ल्यू), मुंबई- 400028	महाराष्ट्र
205.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शिलांग	"लम्पिंगेड", बिशप कॉटन रोड, शिलांग- 793001	मेघालय
206.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और एप्लाइड न्यूट्रिशन वैशाली	रामाशीष चौक के निकट, स्टेट गवर्नमेंट सर्किट हाउस के सामने, पी.ओ. इंडस्ट्रियल इस्टेट, हाजीपुर- 844001, वैशाली	बिहार
207.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन शिमला	कुफरी, शिमला- 171012	हिमाचल प्रदेश
208.	होटल प्रबंधन संस्थान, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन श्रीनगर	बुलेवार्ड रोड, निकट नेहरू पार्क, श्रीनगर- 190001	जम्मू और कश्मीर
209.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन तिरुवनंतपुरम्	जी.वी. राजा रोड, कोवलम पी.ओ. तिरुवनंतपुरम् - 695527	केरल
210.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन ग्वालियर	भिंडरोड, महाराजपुरा पीओ, ग्वालियर- 474002	मध्य प्रदेश

211.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन	गुरु नानक देव कॉलेज परिसर, हरदोचन्नई रोड, गुरदासपुर	पंजाब
212.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन चेन्नई	सीआईटी कैम्पस, थारामनी पी.ओ. चेन्नई- 600113	तमिलनाडु
213.	डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन चंडीगढ़	सेक्टर-42/डी, चंडीगढ़-160036	चंडीगढ़
214.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर	वीर सुरेंद्र साई नगर, भुवनेश्वर- 751004	ओडिशा
215.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी	एआईडीसी बिल्डिंग, एबीसी स्टॉपेज, जीएस रोड, भंगारश, गुवाहाटी- 781005	असम
216.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवेल मैनेजमेंट ग्वालियर	गोविंदपुरी, ग्वालियर- 474011	मध्य प्रदेश
<b>II-प्राइवेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट [ 3]</b>			
217.	बी.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी मुंबई	सेक्टर-8, सीबीडी, नवी मुंबई- 400614	महाराष्ट्र
218.	बी.बी.(भारती विद्या पीठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पुणे	कटराज-धनकावडी, पुणे- 411043	महाराष्ट्र
219.	ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी पुणे	55/56, शिवाजीनगर, पुणे- 411005	महाराष्ट्र
<b>9.राष्ट्रीय संस्थान (विभिन्न दिव्यांगताओं से निपटने के लिए) यूएनडीईआरएम/सामाजिक न्याय और अधिकारिता[7]</b>			

220.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान सिकंदराबाद	मनोविकास नगर, सिकंदराबाद-500009	आंध्र प्रदेश
221.	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली	4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली- 110002	दिल्ली
222.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई	किशन चंद मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई- 400050	महाराष्ट्र
223.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक	ओलाटपुर, पीओ बैरोई, कटक-754010	ओडिशा
224.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून	116, राजपुर रोड, देहरादून	उत्तरांचल
225.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता	बीटी रोड, बनहुगली, कोलकाता-700090	पश्चिम बंगाल
226.	राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई	ईस्ट कोस्ट रोड, मुत्तुकाडु, कोवलम पोस्ट, चेन्नई- 603112	तमिलनाडु
<b>10. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) (7)</b>			
227.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली	मोहाली	पंजाब
228.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
229.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश
230.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे	पुणे	महाराष्ट्र
231.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम	केरल

232.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बेरहामपुर	बेरहामपुर	ओडिशा
233.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुपति	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
<b>11.विविध[7]</b>			
234.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुम्बई	पीओ बॉक्स 8313, देवनार, मुम्बई-400088	महाराष्ट्र
235.	नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली	एलटीजी ऑडिटोरियम, मंडी हाउस, नई दिल्ली	दिल्ली
236.	द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली	दरबारी सेठ ब्लॉक, हेबीटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003	दिल्ली
237.	फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे	लाँ कॉलेज रोड, पुणे- 411004	महाराष्ट्र
238.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन नई दिल्ली	अरुणा आसफ अली रोड, जे एन यू न्यू कैंपस, नई दिल्ली- 110067	दिल्ली
239.	अकादमी ऑफ साइंसटिफिक एंड इनोवेटिव, चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडु
240.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च, मोहाली	मोहाली	पंजाब

\*\*\*\*\*